शासकीय महाविद्यालय बलरामपुर

जिला– बलरामपुर–रामानुजगंज छ0ग0

LFkkiuk % 12 tqykbZ] 2008

¼ljxqtk fo'ofo|ky; vfEcdkiqj] N0x0 ls lac)½

izos'k foojf.kdk

प्रकाशक :

izkpk;Z 'kkldh; egkfo|ky; cyjkeiqj
ftyk& cyjkeiqj&jkekuqtxat N0x0
eks-ua- 9977920198] 9826879840
Website: govtcollegebalrampur.in, email ID- gncbalrampur@gmail.com

रैगिंग

कानूनी अपराध है

और

इसे रोकना हमारा

नैतिक

कर्तव्य है ।

Mk- T;kfr flagk
ikpk;Z

संदेश

छत्तीसगढ़ का नवीन जिला बलरामपुर सदी के प्रारंभ से ही ऐतिहासिक एवं रम्य प्राकृतिक स्थलों का संगम स्थल रहा है। यह जिला शैक्षिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र माना जाता है। 12 जुलाई 2008 को स्थापित यह महाविद्यालय अभी अपने शैशवाकाल में ही है। इसकी अपेक्षाएं एवं आकांक्षाएं ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई हैं।

आपके हाथों में जो विवरण पत्रिका है, उसमें इस शैक्षणिक सत्र में दी जाने वाली गुणवत्तायुक्त उच्च शिक्षा की पूर्ति के लिए हमारे परिसर में उपलब्ध सुविधाओं की संक्षिप्त जानकारी है। यह महाविद्यालय विगत 7 वर्षों से देश व समाज की सेवा में रत होकर छात्र–छात्राओं के बहुमुखी विकास के लिए प्रयासरत है।

þlo¢ Hkoûr¡ lf[ku%] lo¢ lUr¡ fujke;k%þ की भावना आत्म कल्याण या आत्म–ज्ञान की ओर अग्रसर होने की पहली सीढ़ी है। जिसकी विशालता अपरिमित है और सफलता कोई लक्ष्य बिन्दु नहीं वरन एक सतत यात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ही हमारा लक्ष्य है। स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण की विशेषताओं से युक्त इस महाविद्यालय परिसर में आप जैसे प्रतिभाशाली तथा जीवन में कुछ कर गुजरने का स्वप्न देखने वाले छात्र–छात्राओं का मैं स्वागत करती हूं।

आप सबका भविष्य उज्जवल एवं मंगलमय हो।

23 मई 2016

डॉ. ज्योति सिंहा

,u-d- nokxu
izHkkjh izkpk;Z

महाविद्यालय - परिचय

01 tuojh 2012 dks LFkkfir cyjkeiqj ftyk ,frgkfld ,oa /kkfeZd LFky MhikMhg] rkrkikuh xeZ ty L=ksr] lejlksr ,oa rekj fiaxyk vH;kj.;] HkkfM+;k iRFkj ty iziikr] cuxaxk ty iziikr] nsoh >fj;k ,oa iocZ ty iziikr rFkk vtqux< uked xqQk ds fy, izfl) gSA vkfnoklh cgqy cyjkeiqj ftys esa ikfLFkr ,frgkfld Lekjd] foiqy [kfut] ou lainkk] jE; izkd`frd n`';ksa ls Hkjiwj i;ZVu LFky] yksd laLd`fr blds xkSjo xkFkk dgrs gSA izkd`frd lalk/kuksa ls ycjst cyjkeiqj ftys esa oukait vkSj d`f"k mitkm ij vk/kkfjr y?kq o dqVhj m|ksx dh vikj laHkkouk,a gSA

'kklu] iz'kklu ykdrU= dh Hkkouk ds vuq:i vketu ds lgfy;r ds fy, 12 tqykbZ 2008 dks mPp f'k{kk ds foLrkj dh ifjdYiuk ds LkkFk 'kkldh; egkfo|ky; cyjkeiqj vuqlwfpr tutkfr ckgqY;] vkfFkZd o 'kSf{kd :i ls fiNM+s {ks= esa LFkkfir fd;k x;k gSA ;g egkfo|ky; vfEcdkiqj&jkekuqtxat eq[; ekxZ cyjkeiqj dLcs 3 fd-eh- dh nwjh ij fLFkr gSA viuh LFkkiuk dky ls gh fujarj izxfr djrs gq, bl egkfo|ky; esa rhuksa ladk;ksa & dyk] okf.kT; ,oa foKku ladk; esa Lukrd dh d{kk,a lapkfyr gSA blh l= ls fgUnh] lekt'kkL= vkfn fo"k;ksa esa Lukrdksrj d{kk izkjEHk djus gsrq Lohd`fr izkIr gksus dh laHkkouk gSA ;gka ls mRrh.kZ vusd Nk=&Nk=kvksa dks ukSdjh ,oa Lojkstxkj ds volj feys gSA

egkfo|ky; ds ;ksX; ,oa yxu'khy izk/;kidksa ds ldkjkRed iz;klksa ls LoLFk 'kS{kf.kd okrkoj.k] LoPN ifjos'k] 'kkfUri.kZ egkSy] 'kS{kf.kd] lkaLd`frd] [ksydwn ,oa vU; xfrfof/k;ksa esa egkfo|ky; dh xfjek esa vfHko`f) gqbZ gSA

egkfo|ky; viuk uohu Hkou esa lapkfyr gSA egkfo|ky; esa i;kZIr Dykl :e] jk"Vªh; lsok ;kstuk] jsMdzkl] xzUFkky;] [ksydwn] iz;ksty] QLVZ ,M lqfo/kk] lkaLd`frd dk;Zdze] vuq'kklu lfefr] ,.Vh jSfxax desVh] f'kdk;r fuokj.k izdks"B] Nk=k dkeu :e] dEI;wVj ¼jk"Vªh; lsok ;kstuk ds Lo;a lsodksa ds fy,½] ,oa LokLF; ijh{k.k dh lqfo/kk,a miyC/k gSA fu;fer Nk=&Nk=kvksa dh ekfld] =Sekfld] N%ekgh ,oa okf"kZd ijh{kk] vuqlwfpr tkfr@tutkfr@vU; fiNM+k oxZ ds Nk=&Nk=kvksa esa Nk=o`fRr ch-ih-,y ,oa fodykax Nk=o`fRr dh lqfo/kk,a miyC/k gSA ljxqtk fo'ofo|ky; vfEcdkiqj us egkfo|ky; dks Lukrd ,oa Lukrdksrj d{kkvksa ds fy;s Lok/;k;h ijh{kk dsUnz ds :i esa ekU;rk iznku dh xbZ gSA

“ सर्वेषां श्रेयसे विद्या ”

’kkldh; egkfo|ky; cyjkeiqj
ftyk& cyjkeiqj&jkekuqtxat N0x0
egkfo|ky; esa Lukrd Lrj ij v/;;u&v/;kiu ds fo"k; leg ,oa ldk;

dyk ldk; ¼Lukrd½&

ch0 ,0 iFke o"kZ

1- vfuok;Z fo"k;&

¼v½ vk/kkj ikB~;Øe & fgUnh Hkk"kk ,oa vaxzsth Hkk"kk ¼c½ i;kZoj.k v/;;u ¼ iFke o"kZ½ A

2- oSdfYid fo"k; &

1- fgUnh lkfgR; vFkok vaxzsth lkfgR; 2- jktuhfr foKku] 3- lekt ’kkL=]

ch0 ,0 f}rh; o r`rh; o"kZ

ch0 ,0 iFke o"kZ esa fy;s x;s fo"k;A

foKku ldk; ¼Lukrd½&

ch- ,l- lh- iFke o"kZ

1- vfuok;Z fo"k;&

¼v½ vk/kkj ikB~;Øe & fgUnh Hkk"kk ,oa vaxzsth Hkk"kk ¼c½ i;kZoj.k v/;;u ¼ iFkeo"kZ½

2- oSdfYid fo"k; &

xf.kr leg & 1- xf.kr] 2- jlk;u’kkL=] 3- HkkSfrd ’kkL=

foKku leg ¼ck;ks½ & 1- ouLifr ’kkL= 2- tUrqfoKku 3- jlk;u’kkL=

ch- ,l- lh- f}rh; o r`rh; o"kZ

ch- ,l- lh- iFke o"kZ esa fy;s x;s fo"k;A

okf.kT; ldk; ¼Lukrd½ &

ch0dke0 iFke o"kZ

1- vk/kkj ikB~;Øe & ¼v½ fgUnh Hkk"kk] ,oa vaxzsth Hkk"kk ¼c½ i;kZoj.k v/;;u ¼ iFke o"kZ½

2- O;olkf;d vFkZ’kkL= 3- O;olkf;d i;kZoj.k 4- O;olkf;d lapkj

5- okf.kfT;d fof/k 6- foRrh; ys[kkadu 7- O;olkf;d xf.kr

ch0dke0 f}rh; o"kZ

1- vk/kkj ikB~;Øe & ¼v½ fgUnh Hkk"kk ,oa vaxzsth Hkk"kk

2- ica/k ds fl)kar 3- m|ferk dk egRo 4- daiuh vf/kfu;e ,oa lkf[;dh i)fr

5- O;olkf;d lkf[;dh 6- fu;fer ys[kkadu 7- ykxr ys[kkadu

ch0dke0 r`rh; o"kZ

1- vk/kkj ikB~;Øe & ¼v½ fgUnh Hkk"kk ,oa vaxzsth Hkk"kk

2- ica/kdh; ys[kkadu 3- vk;dj 4- vaR;{k dj 5- vads{k.k

6- oSdfYid leg& v- foRrh; xqi c- foi.ku xqi l- lapuk iz|kSfxdh xqi

egkfo|ky; e iR;d l dk; dh d{kkokj ios’k grq miyC/k lhVk dh l[;k &

Ø0	ikB;Øe dk uke	miyC/k LFkku
1.	बी0 ए0 प्रथम वर्ष	160
2.	बी0 ए0 द्वितीय वर्ष	150
3.	बी0 ए0 तृतीय वर्ष	150
4.	बी. एस. सी. प्रथम वर्ष गणित समूह	75
5.	बी. एस. सी. प्रथम वर्ष जीव विज्ञान समूह	60
6.	बी. एस. सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष गणित समूह	75– 75 –75
7.	बी. एस. सी. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष जीव विज्ञान समूह	60 –60–60
8-	बी0 कॉम प्रथम वर्ष, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष	50–50–50

टीप :–

1. छात्र/छात्राओं को प्रथम वर्ष के विषय ही द्वितीय व तृतीय वर्ष में लेने होंगें ।
2. छात्र/छात्राओं को विभिन्न विषय में प्रवेश, स्थान की उपलब्धता एवं अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर निर्भर होगा । प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा । स्थान न होने की दशा में छात्र/छात्राओं को इस संदर्भ में उनकी पसंद के विषय के बजाय ऐसे विषय लेने होंगें जिसमें स्थान उपलब्ध हो ।
3. विषय परिवर्तन के लिए आवेदन प्रवेश लेने के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है, विषय परिवर्तन, सम्बन्धित विषय में स्थान उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

ios’k lc/kh fu;e

ios’k frfFk %

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार प्रत्येक योग्य आवेदक को महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता है। नवीन प्रवेश हेतु न्यूनतम निर्धारित अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र–छात्राओं को निर्धारित तिथि तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा। स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की कक्षाओं में स्थान रिक्त होने पर ही स्वाध्यायी या बाह्य विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

शैक्षणिक सत्र 16 tu से आरंभ होगा। ios’k vkonu i= 16 tu l 30 tykb rd कार्यालयीन अवधि में प्रातः 10.30 से 5.30 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 30 tykb rd प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्रवेश देने में सक्षम होगें।

i.o'k fu;e ¼ Admission Rules½ &

1. यदि छात्र/छात्रा एक संकाय छोड़ दूसरे संकाय में प्रवेश चाहे तो उसका गुणानुक्रम प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत काटकर निर्धारित किया जायेगा ।
2. छात्र/छात्रा अपनी उपाधि के लिए जो विषय लेना चाहते है उसका चयन सावधानी से करे । विषय परिवर्तन प्राचार्य की अनुमति के बिना नहीं होगा तथा निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई भी परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
3. प्रवेश योग्यता के आधार पर ही दिया जा सकेगा ।
4. स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना 1 जुलाई की स्थिति में की जावेगी।
5. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के क्रमशः 12 प्रतिशत् तथा 32 प्रतिशत् स्थान आरक्षित होंगें। इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगें । विकलॉग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आधार पर भी आरक्षण होगा । आरक्षित स्थानों के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी । पिछड़े वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के आवेदकों के लिए 14 प्रतिशत् स्थान आरक्षित है ।
6. प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकार की सूचना घर पर नहीं भेजी जायेगी, प्रवेश–सूचना महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी। छात्र/छात्राएं महाविद्यालय के सूचना पटल का नियमित अवलोकन करते रहें। यह सूचना महाविद्यालय के वेब साईट www.govtcollegebalrampur.in पर भी उपलब्ध रहेगी।
7. प्रवेश सूची जारी होने के सात दिनों के अन्दर शुल्क जमा कर प्रवेश लेना होगा ।
8. प्रत्येक छात्र को एन0एस0एस0, यूथ रेड क्रास सोसायटी अथवा खेलकूद में भाग लेना अनिवार्य है ।
9. प्रवेश संबंधी अंतिम निर्णय प्राचार्य का होगा जो बाध्यकारी होगा ।

i.o'k ik=rk ¼&

विश्वविद्यालय अधिनियम 8 के अनुसार निम्नलिखित छात्र/छात्राएं प्रवेश पा सकेगें–

1. <u>बी.ए., बी.काम., एवं बी. एस.सी. प्रथम वर्ष</u>

   (क) छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर /सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली के अलावा किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं / हायर सेकेन्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

2. <u>बी.ए., बी.काम., एवं बी. एस.सी. द्वितीय वर्ष</u>

   (क) बी.ए., बी.काम., एवं बी. एस.सी. प्रथम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। अथवा

   (ख) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

3. <u>बी.ए., बी.काम., एवं बी. एस.सी. तृतीय वर्ष</u>

   (क) बी.ए., बी.काम., एवं बी. एस.सी. द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण हो। अथवा

   (ख) विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो।

fo'ofo|ky; ukekadu& ¼uohu Nk=@Nk=k gsrq vfuok;Z½

1. प्रत्येक नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं को सरगुजा विश्वविद्यालय से नामांकन कराना अनिवार्य है। नामांकन फार्म निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करें।
2. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल अथवा सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर को छोड़कर अन्य बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय से आने वाले छात्र छात्राओं का प्रव्रजन (Migration) प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा ।
3. महाविद्यालय में छात्र/छात्रा को दिया गया प्रवेश, सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर द्वारा मान्य न होने तक अस्थाई रहेगा । अर्हता के संबंध में अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा ।

izos'k vkosnu i= %&

1. प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन–पत्र विवरण–पत्रिका के अंत में संलग्न निर्धारित प्रपत्र पर ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र निर्धारित राशि कार्यालय में जमा करने पर प्राप्त किया जा सकता है । यह राशि किसी भी कारण से लौटाई नहीं जाएगी । महाविद्यालय–कार्यालय से दिये जाने वाले आवेदन पत्रों पर पंजीयन संख्या होगी । आवेदन–पत्र स्वयं छात्र/ छात्रा द्वारा ही भरा जाना चाहिए तथा अपने अभिभावक द्वारा हस्ताक्षरित होकर कार्यालय में निर्धारित समयावधि में जमा करना होगा।

fo'ks"k %& निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का आवेदन पत्र के साथ होना अनिवार्य है ।

1. विद्यार्थी की पिछली संस्था का मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (Original T.C.)
2. स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की द्वितीय प्रति के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जावेगा । प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में निकटतम पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज किया जाए । पुलिस थाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानान्तरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो , प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है । इस हेतु विद्यार्थी को वचन पत्र देना होगा ।
3. पिछली कक्षा की अंक सूची की सत्य प्रतिलिपि मूल अंक सूची के साथ आवश्यक रूप से जांच हेतु प्रस्तुत करें । मूल अंक सूची छात्र को तुरन्त वापस कर दी जायेगी ।
4. प्रवजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) (उन विद्यार्थी के लिए है जो सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर या छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से संबंधित किसी भी संस्था की विद्यार्थी न रहा हो) ।
5. पिछली कक्षा का प्राचार्य द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
6. जो विद्यार्थी स्वाध्यायी (Privcate) परीक्षार्थी के रूप में पिछली परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो, उसे किन्हीं दो सम्मानित व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा ।
7. माता/पिता/पालक का आय प्रमाण पत्र (मूल प्रमाण पत्र)संलग्न करें ।
8. यदि विद्यार्थी किसी वर्ष परीक्षा में नहीं बैठा या अनुत्तीर्ण हुआ हो तो ऐसे गत वर्षो की परीक्षा संबंधी जानकारी (शपथ पत्र) प्रवेश पत्र के साथ संलग्न करना होगा ।
9. जिन विद्यार्थी ने गत परीक्षा सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर अथवा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल/सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली के अलावा अन्य किसी बोर्ड/ विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो उन्हें सरगुजा विश्वविद्यालय से प्रवेश संबंधी पात्रता प्रमाण–पत्र महाविद्यालय–प्रवेश–आवेदन के साथ अनिवार्य रूप से जमा करना होगा ।

10. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को विभिन्न सुविधाओं हेतु छात्रवृत्तियों के लिए भी निम्नानुसार प्रमाण पत्र लगाने होंगें । (1) जाति प्रमाण–पत्र (2) आय प्रमाण–पत्र (3) निवास प्रमाण–पत्र । ये प्रमाण पत्र तहसीलदार अथवा राजस्व अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायें ।
11. नौकरी करने वाली विद्यार्थी के लिए नियोक्ता का स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है ।
12. शासकीय निर्देशानुसार यदि किसी विद्यार्थी ने किसी कक्षा में प्रवेश लिया हो और किन्हीं कारणों से परीक्षा में शामिल नहीं हो पाया हो/अनुत्तीर्ण हो गया हो अथवा अध्ययन बीच में बन्द कर दिया हो तो ऐसे विद्यार्थी को उसी कक्षा में पुनः प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
13. शासकीय नियमों के विरूद्ध प्रवेश हेतु अवांछित दबाव डालने की स्थिति में उच्चाधिकारियों को सूचित किया जावेगा तथा प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।
14. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित या स्व–प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक है ।

ikpk;l dk i.k vf/kdkj g fd o fdlh fo|kFkh dk uke egkfo|ky; dh lph l dkV n ;fn %&

1. छात्र/छात्रा महाविद्यालय का प्रवेश–शुल्क निर्धारित तिथि के अन्दर जमा नहीं करता है ।
2. यदि छात्र/छात्रा महाविद्यालय की आन्तरिक मूल्यांकन परीक्षा में लगातार अनुपस्थित रहता है।
3. छात्र/छात्रा का व्यवहार प्राचार्य की दृष्टि से असंतोशजनक हो ।
4. छात्र/छात्रा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करता है ।
5. छात्र/छात्रा रैगिंग करता है ।
6. अन्य किसी भी विशेष कारणो से जनहित में ।
7. शासकीय आदेशानुसार यदि कोई छात्र/छात्रा लगातार 1 महिने से अधिक बिना सूचना के महाविद्यालय में अनुपस्थित रहता है तो उसका नाम महाविद्यालय से बिना सूचना के काट दिया जायेगा ।

'kYd lc/kh fu;e %&

1. विद्यार्थी स्वयं काउन्टर पर ही नगद फीस जमा करें ।
2. प्रत्येक फीस तथा जमा की गयी राशि के लिए छात्र उसी समय रसीद प्राप्त करें । यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरन्त प्राचार्य को सूचित करें । रसीद नहीं लेने तथा उसी समय प्राप्त न करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी ।
3. शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीय है । परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होगें ।
4. छात्र सहायता निधि से सहायता हेतु विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करें । एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति या सहायता राशि मिलेगी ।
5. नामांकन शुल्क, नवप्रवेशित छात्र/छात्राओं के अलावा उन विद्यार्थियों के लिए देय है, जो अन्य बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित होकर सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर (छ0ग0) में नामांकित होना चाहता है ।
6. समस्त शुल्क आवश्यक रूप से छात्र द्वारा ही भरा जाना चाहिए ।

&'kYd lc/kh foojk.k %&

शुल्क विवरण	स्नातक कला संकाय/ वाणिज्य संकाय	स्नातक विज्ञान संकाय
संरक्षण शुल्क	118	138
अवधान शुल्क	60	100
प्रवेश शुल्क	2	2
निर्धन कल्याण शुल्क	5	5
परिचय पत्र	50	50
महाविद्यालय विकास शुल्क	25	25
सायकल स्टैण्ड	20	20
कामन रूम/वाचनालय	20	20
रेडक्रास सोसायटी	25	25
आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	40	40
ग्रंथालय परिचय पत्र शुल्क	10	10
छात्रसंघ शुल्क	20	20
कीड़ा शुल्क	22	22
सम्मिलित निधि	32	32
स्नेह सम्मेलन	20	20
शारीरिक कल्याण शुल्क	150	150
चिकित्सा शुल्क	5	5
युवा गतिविधि शुल्क	17	17
विश्वविद्यालय शुल्क	20	20
नमांकन शुल्क	100	100
जनभागीदारी शुल्क	400	400
महाविद्यालयीन पत्रिका शुल्क	50	50
कुल	1211	1271

Vhi %&

1. शासन के निर्देशानुसार सभी छात्राएं शिक्षण शुल्क से मुक्त होंगे।
2. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के विद्यार्थी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
3. तुतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संतान को माता–पिता के शासकीय सेवा के प्रमाण पत्र एवं वेतन /आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जावेगी।

/kjkgj jkf'k ¼vekur jkf'k ikIr djus dk fu;e½&

- धरोहर राशि निकलवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें ।
- महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (टी0सी0) प्राप्त करने के पश्चात् राशि दी जायेगी ।
- परिचय पत्र एवं मूल रसीद के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा ।
- धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रति बुधवार को अपरान्ह में ही किया जायेगा ।
- छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अंदर धरोहर राशि (Caution Money) वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । तीन वर्ष व्यतीत होने पर शासन के आदेशानुसार धरोहर राशि (Caution Money) वापस नहीं की जायेगी ।

Nk=ofRr ;k&

egkfo|ky; esa lHkh ikdkj dh Nk=ofRr;k miyC/k g]tks iR;sd l= esa n; gkxhA

1. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार मेट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
2. बी.पी.एल. कार्डधारी बच्चों को नियमानुसार बी.पी.एल. छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

   (मेट्रिकोत्तर एवं बी.पी.एल. छात्रवृत्ति में से किसी एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी)
3. छ.ग. शासन के निर्देशानुसार विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
4. योग्य निर्धन विद्यार्थी को वित्तीय सहायता व शुल्क में छूट छात्र सहायता निधि से प्रदान की जाती है।

Nk=ofRr ds lEca/k esa fo'ks"k tkudkjh

1- छात्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका में देखें जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है । विद्यार्थी उसे पूरा पढ़ें व तदनुसार आवेदन समायावधि में कार्यालय में जमा करें ।

2- उपरोक्त नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तो, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा ।

3- महाविद्यालय के सूचना फलक पर घोषित अंतिम तिथि के भीतर आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा ।

4- छात्रवृत्ति संबंधी सूचनाऍं समय–समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना विद्यार्थी का स्वयं का दायित्व है ।

5- अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेगें ।

6. आवेदन पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें । विलम्ब से प्राप्त या अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा । इसके लिए महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी ।

7. पात्रता होने पर भी यदि कोई विद्यार्थी उपरोक्त सुविधाओं के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो इनसे वंचित रह जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी

8. छात्रवृत्ति की सूचना विद्यार्थी के लिए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जावेगी जिसे देखकर छात्र स्वयं कार्यालय में छात्रवृत्ति प्राप्त करें।

9- प्रत्येक छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी को कार्यालय से प्रपत्र लेकर अगस्त माह में आवेदन करना होगा

10-विद्यार्थी को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रति वर्ष अगस्त में अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति मिलना बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह विद्यार्थी का ही है ।

11-सेन्ट्रल बोर्ड की बारहवीं परीक्षा पास छात्र के लिए नवीन छात्रवृत्ति हेतु पात्रता का आधार बारहवीं परीक्षा के अंक होंगें ।

12-आय संबंधी योग्यता तथा अन्य आधारों में कभी भी शासन द्वारा संशोधन संभव है, अतः विद्यार्थी कॉलेज में नोटिस बोर्ड पर प्रतिदिन सूचनाऍं देखें और तदनुसार आवेदन पत्र समयावधि में जमा करें।

13-गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है इस पर शासन द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है ।

14-शासन के नियमानुसार जिन छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अन्तर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अन्तर्गत उनकी छात्रवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी ।

Vhi %– महाविद्यालयीन विद्यार्थी जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति मिलती है, यदि हड़ताल आदि में भाग लेते है, तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित होगी ।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ

i|Lrdky;@okpuky;

(अ) पुस्तकालय, वाचनालय का छात्राएँ पूरा–पूरा उपयोग करें । यदि विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा का दुरूपयोग करता है, तो उन्हें इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है । दी गई पुस्तकों के पृष्ट फटे अथवा खोये हुए पाये जाने पर विद्यार्थी को पूर्ति करनी होगी । पुस्तक लेते समय छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वह देख लें कि पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोया हुआ/फटा हुआ हो तो नहीं है । यदि विद्यार्थी ऐसा पायें तो तत्काल वह ग्रन्थपाल (लाईब्रेरियन) का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि इन्हें दूसरी पुस्तक प्रदान की जा सके । निर्धारित समय के भीतर पुस्तक वापस न करने की दशा में अर्थदण्ड देना होगा ।

(ब) प्रश्न पत्र एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं का उपयोग विद्यार्थी केवल वाचनालय में बैंठकर ही कर सकती है ।

c|d c|d ;kstuk

(1) साधनहीन व निर्धन विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक की विशेष योजना व व्यवस्था है । इच्छुक विद्यार्थी 30 सितम्बर के पूर्व बुक बैंक की सहायता हेतु आवेदन करें । आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें । बुक बैंक से पुस्तक एक सत्र के लिए प्राप्त हो सकेगी जो सत्रांत में लौटानी होगी ।

(2) महाविद्यालय के ग्रन्थालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति की स्नातक के विद्यार्थियों के लिए ''बुक बैंक'' योजना प्रारंभ है, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् ही छात्र/छात्राएँ प्रवेश–पत्र, परिचय पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुक कर ग्रन्थालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते है। बी0पी0एल0 (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले) बुक बैंक योजना एवं बी0पी0एल0 छात्र कल्याण छात्रवृत्ति इस योजना के अन्तर्गत आने वाली छात्र/छात्राओं को प्रमाण–पत्र, बी0पी0एल0 कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रपत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है । विद्यार्थियों को पुस्तकें प्रदाय करने की व्यवस्था श्रीमती के. तनुजा, ग्रंथपाल द्वारा किया जाता है।

leL;k fuokj.k i:dk"B

विद्यार्थियों के समस्या–निवारण एवं महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु पृथक–पृथक प्रकोष्ठ कार्यरत है।

jk"Vh; lok ;ktuk

यह योजना सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर (छ0ग0) से सम्बद्ध है । महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) की 100 छात्र–छात्राओं का इकाई कार्यरत है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थी श्रमदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, एवं समयानुकूल समाज सेवा का कार्य करते हैं। छात्र–छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि में 240 घंटे का सेवा कार्य पूर्ण करना होता है। बी एवं सी प्रमाणपत्र की परीक्षा की पात्रता हेतु नियमित गतिविधियों में 75 प्रतिशत उपस्थिति और कम से कम एक सात दिवसीय शिविर में भागीदारी आवश्यक है। प्राचार्य की अध्यक्षता में इस योजना का संचालन किया जाता है ।

[kydy

महाविद्यालय में वॉलीवाल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो–खो, क्रिकेट, एवं शतरंज आदि खेलों के खेलने की सुविधा है । छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इनमें रूचि व भाग लें । टीम में स्थान प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास में उपस्थिति जरूरी है। खेल गतिविधियां प्रो. एन.एस. एक्का सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र के देखरेख में संचालित होता है।

Nk= l?k

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं की कलात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहन हेतु छात्र संघ गठित किया जाता है । प्रत्येक विद्यार्थी छात्र संघ का सदस्य होता है । संघ की समस्त गतिविधियों में प्रत्येक छात्र/छात्राओं का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। छात्रसंघ की गतिविधियां डॉ. यू.के. पाण्डेय सहायक प्राध्यापक, हिन्दी के मार्गदर्शन में कार्यान्वित होती है।

ifjp; i=

प्रत्येक छात्र के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है, जिसमें पासपोर्ट साईज का एक फोटा लगाना भी अनिवार्य है। छात्र अपने परिचय–पत्र सावधानी पूर्वक रखें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र दोबारा नहीं दिया जायेगा । एक छात्र को एक शिक्षण सत्र में एक बार ही परिचय पत्र दिया जायेगा ।

iR;sd fo|kFkhZ dk ifjp; i=] xzFkky; dkMZ ifrfnu viu lkFk j[kuk ,oa ekax tkus ij iLrqr djuk vfuok;Z gSA

रैगिंग – निषेध

रैंगिंग एक दण्डनीय अपराध है । इस संबंध में ‘‘छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001‘‘ जारी किया गया है । जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुशंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है । इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

ifjHkk"kk

रैंगिंग से अभिप्राय है किसी छात्र/छात्रा को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, या उससे क्षति पहुॅचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग करना ।

j\fxx dk ifr'kk/k %& किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैंगिंग में भाग नहीं लेगा

n.M %& यदि कोई व्यक्ति रैंगिंग के प्रतिषेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैंगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 05 हजार से अधिक नहीं होगा या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा । इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक संज्ञेय अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा ।

vijk/kks dk fopkj.k & इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया गायेगा ।

Nk=@Nk=k ds fu"dklu ds fy;s fu;kX;rk &

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था–परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा । किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र/छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्व दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से नि कासन के लिये जिम्मेदार होगा। ऐसा छात्र/छात्रा जो नि कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन

सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

fu;fer fo|kFkh d: :i e: okf"kd ijh{kk e: cBu: dh ik=rk %&

- प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत् उपस्थिति अनिवार्य ।
- कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना आवश्यक ।
- एन0सी0सी0 कैम्प/एन0एस0एस0 कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पार्धाओं/यूथ रेडक्रास सोसायटी के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा ।
- उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी ।
- कम उपस्थिति वाले छात्रों तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी ।
- उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जायेगी ।
- महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगें ।

NRrhlx< d: 'kkldh; egkfo|ky;k e: fo|kFkh;k d: fy, vkpj.k&lafgrk

lkekU; fu;e

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय मे प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा । इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा ।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा । किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होनी चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग करेगा ।
3. महाविद्यालय–परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा ।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा ।
5. महाविद्यालय–परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल, निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन–निर्वाह करेगा ।
6. महाविद्यालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा ।
7. महाविद्यालय में इधन–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है । विद्यार्थी के असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा । विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा ।

9- egkfo|ky; e: ekckbly dk mi;kx i.kr% ifrcf/kr jgxk A

v/;;u lc/kh fu;e %&

1- प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत् उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 में भी लागू होगी । अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगा ।

2- विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा । उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा ।

3- ग्रन्थालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तक प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा ।

4- अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा ।

5- व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय मे पंखें, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा ।

ijh{kk lc/kh fu;e %&

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है ।
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा ।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा ।

egkfo|ky; iz'kklu dk vf/kdkj {ks= %&

1. यदि छात्र किसी अनैतिकतामूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा ।
2. यदि छात्र रैंगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना–प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैंगिंग किये जाने पर अथवा रैंगिंग के लिए प्रेरित करने पर पॉच साल तक कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है ।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा ।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा ।
5. महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर प्रवेश पत्र पर प्रवेश समिति के सम्मुख हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

’kS{kf.kd ,oa dk;kZy;hu LVkQ

lLFkk iwe[k ikpk;Z	&	Mk0 T;ksfr flag
iHkkjh ikpk;Z	&	Jh ,u- d- nokxu

1- egkfo|ky; ds lgk;d izk/;kidksa dh lwph) tkudkjh&

dzekad	uke	in	fo"k;
1-	Mk0 ih- ih- flag	lgk;d izk/;kid	tUrq foKku
2-	Jh ,u- d- nokxu	lgk;d izk/;kid	vaxzsth
3-	Mk0 ;w- d- ik.Ms;	lgk;d izk/;kid	fgUnh
4-	Jh ,u- ,l- ,Ddk	lgk;d izk/;kid	lekt’kkL=
5-	Jh ,u- d- flag	lgk;d izk/;kid	ouLifr’kkL=
6-	--------------------------------- ¼fjDr½	lgk;d izk/;kid	xf.kr
7-	--------------------------------- ¼fjDr½	lgk;d izk/;kid	jktuhfr foKku
8-	---------------------------------- ¼fjDr½	lgk;d izk/;kid	okf.kT;
9-	--------------------------------- ¼fjDr½	lgk;d izk/;kid	jlk;u
10	--------------------------------- ¼fjDr½	lgk;d izk/;kid	HkkSfrdh
11-	Jherh dqekjh ruqtk	xzFkiky	xzFkiky
12-	--------------------------------- ¼fjDr½	dhMkf/kdkjh	¼fjDr½

2- egkfo|ky; ds deZpkfj;ksa dh lwph) tkudkjh&

dzekad	in	uke	fo"k;
1-	eq[; fyfid ¼fjDr½	¼fjDr½	----------------
2-	dk;kZy; lgk-xzsM&2	Jh fxjoj iz lkn dkjh	LFkkiuk] ys[kk] fo-fo- ,oa Nk= ’kk[kk
3-	dk;kZy; lgk-xzsM&3 ¼fjDr½	¼fjDr½	------------------
4-	iz;ksx’kkyk rduhf’k;u	Jh jkeleqn’ku jke	Nk=ofr ,oa lHkh ik;ksfxd fo"k;
5-	iz;ksx’kkyk rduhf’k;u	¼fjDr½	-----------------------
6-	iz;ksx’kkyk rduhf’k;u	¼fjDr½	------------------------
7-	HkR;	Jh fot; dqekj frdhZ	-----------------------
8-	HkR;	HkR; Jh Qwypan dqtqj	------------------------
9-	iz;ksx’kkyk ifjpkjd	¼fjDr½	-----------------------

tuHkkxhnkjh lfefr

Jh Hkkuq izdk'k nhf{kr]

अध्यक्ष

Ø-	uke	in	fo'k"k
1	श्री भानु प्रकाश दीक्षित, जनपद सदस्य	अध्यक्ष	राज्य शासन द्वारा नियुक्त
2	श्री एस.एस. पैंकरा, डिप्टी कलेक्टर	उपाध्यक्ष	कलेक्टर प्रतिनिधि
3	श्री अज्जु गुप्ता	सदस्य	सांसद प्रतिनिधि
4	श्री समीर सिंहदेव	सदस्य	विधायक प्रतिनिधि
5	श्री अजय गुप्ता	सदस्य	उद्योग
6	श्री पुष्पेंद्र सिंह	सदस्य	स्थानीय संस्था
7	श्री रूपेश सिंह	सदस्य	कृषक
8	श्री मोहर लाल कुजुर	सदस्य	पोषक शाला
9	श्री विमल कुमार दूबे	सदस्य	पोषक शाला
10	श्री लोधी राम एक्का	सदस्य	अभिभावक
11	श्री शिवकुमार यादव	सदस्य	अभिभावक
12	श्री दयानंद कुशवाहा	सदस्य	भूतपूर्व छात्र
13	श्री मन्नू सिंह	सदस्य	भूतपूर्व छात्र
14	श्रीमती पिंकी सिंह	सदस्य	महिला सदस्य
15	डॉ. ज्योति सिन्हा, प्राचार्य	सचिव	पदेन सचिव
16	श्री नंद कुमार देवांगन	प्राध्यापक सदस्य	प्रभारी प्रध्यापक
17	डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय	प्राध्यापक सदस्य	प्राध्यापक सदस्य
18	श्री नीलम संजीव एक्का	प्राध्यापक सदस्य	प्राध्यापक सदस्य
19	श्री गिरवर प्रसाद कोरी	लिपिक	लिपिक सदस्य

'kkldh; egkfo|ky; cyjkeiqj
ftyk& cyjkeiqj&jkekuqtxat N0x0

सत्र 2016–17 हेतु महाविद्यालयीन विभिन्न गतिविधियों को सूचारू रूप से संचालित करने बाबत् समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है। संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि वे उल्लेखित दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन महाविद्यालय के हित में संपादित करेंगे।

1- vuq'kklu ,oa jSfxax fu;a=.k lfefr %&

1. डॉ पी. पी. सिंह – संयोजक 2. श्री नन्दकुमार देवांगन, सदस्य
3. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, सदस्य 4. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य
5. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य 6. कु. के. तनुजा, ग्रंथपाल

2- le;&lkfj.kh lfefr %&

1. श्री नन्दकुमार देवांगन – संयोजक 2. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य
3. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य

3- izos'k lfefr%&

1. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, संयोजक – बी. ए. प्रथम वर्ष
श्री रामसुदर्शन राम, सदस्य सदस्य
2. श्री नीलम संजीव एक्का, संयोजक – बी. ए. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष
श्री गिरवर प्रसाद कोरी,
3. श्री नन्द किशोर सिंह, संयोजक – बी.एस.सी. प्रथम/ द्वितीय एवं तृतीय वर्ष
श्री रामसुदर्शन राम , सदस्य
4. श्रीमती कुमारी तनुजा, संयोजक – बी.काम. प्रथम/ द्वितीय एवं तृतीय वर्ष

4- i;kZoj.k ,oa LoPNrk lfefr%&

1. श्री नन्द किशोर सिंह, संयोजक 2. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य,
3. श्रीमती कुमारी तनुजा, सदस्य

5- fo'ofo|ky; vuqnku vk;ksx lfefr%&

1. श्री नन्दकुमार देवांगन, संयोजक 2. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, सदस्य,
3. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य,

6- lkaLd`frd ,oa ;qok mRlo lfefr%&

1. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, संयोजक 2. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य
3. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य 4. श्रीमती कुमारी तनुजा, ग्रंथपाल,सदस्य

7- Nk=la?k lfefr%&

1. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, संयोजक 2. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य
3. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य

8- dzhMk lfefr%&

1. श्री नीलम संजीव एक्का, संयोजक 2. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य
3. श्रीमती कुमारी तनुजा, ग्रंथपाल,सदस्य

9- d्र; lfefr%&

1. श्री नन्दकुमार देवांगन – संयोजक 2. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य,
3. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य

10- lkfgfR;d lfefr%&

1. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, संयोजक 2. श्री नन्दकुमार देवांगन,सदस्य
3. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य 4. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य

11-xzFkky; lfefr%&

1. श्रीमती कुमारी तनुजा, ग्रंथपाल,संयोजक 2. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, सदस्य
3. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य 4. श्री नन्द किशोर सिंह, संयोजक

12- ,u-,l-,l-@jsMdkl lfefr%&

1. श्री नन्दकुमार देवांगन, संयोजक/कार्यक्रम अधिकारी
2. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य 3. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य

13-egkfo|ky; fodkl lfefr%&

1. श्री नन्दकुमार देवांगन, संयोजक
2. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, सदस्य 3. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य

14- vkrfjd eqY;kadu@ijh{kk lfefr%&

1. श्री नन्द किशोर सिंह, संयोजक
2. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, सदस्य 3. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य

15- fo'ofo|ky;hu ijh{kk @Lo;kie ijh{kk lfefr&

1. श्री नन्दकुमार देवांगन, संयोजक
2. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य 3. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य

16-vk;dj lfefr%&

1. श्री नन्दकुमार देवांगन, – संयोजक
2. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य 3. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, सदस्य

17-Nk=ofr ,oa fu/kZu Nk= lgk;rk lfefr %&

1. श्री नन्द किशोर सिंह, संयोजक 2. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य

18-vuq'kklu lfefr%&

1. श्री नन्दकुमार देवांगन – संयोजक
2., श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य 3. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य

19- tuHkkxhnkjh lfefr %&

1- श्री नन्दकुमार देवांगन, संयोजक
2. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, सदस्य 3. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य

20- f'kdk;r fuokj.k ,oa efgyk mRihMu izdk"B%&

1. श्रीमती कुमारी तनुजा, ग्रंथपाल, संयोजक
2. नन्दकुमार देवांगन, सदस्य,
3. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय,
4. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य,

21- vkarfjd xq.koRrk izdk"B %&

1. नन्दकुमार देवांगन, संयोजक
2. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, सदस्य
3. श्री नन्द किशोर सिंह,,सदस्य

22- Hkfe@Hkou fuekZ.k n[kj[k lfefr %&

1- श्री नन्दकुमार देवांगन, संयोजक
2. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, सदस्य
3. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य

23- vuqlwfpr tkfr@tutkfr lfefr %&

1. श्री नीलम संजीव एक्का,,संयोजक
2. श्री नन्द किशोर सिंह,,सदस्य

24- fo|kFkhZ ekxZn'kZu @jkstxkj lacaf/kh ekxZn'kZu izdk"B %&

1- डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, संयोजक
2. श्री नन्दकुमार देवांगन, सदस्य
3. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य

25- lwpuk vf/kdkj @ yksd lsok xkjaVh lfefr %&

1. श्री नीलम संजीव एक्का, संयोजक
2. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य
3. श्रीमती कुमारी तनुजा, ग्रंथपाल, सदस्य

26- tuHkkxhnkjh@lfonk lfefr %&

1. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, – संयोजक
2. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य
3. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य

27- lk;dy LVS.M O;oLFkk lfefr %&

1. श्री नीलम संजीव एक्का, संयोजक
2. श्री नन्दकुमार देवांगन, सदस्य

28- Hkkriqo Nk= lfid lfefr %&

1. श्री नन्दकुमार देवांगन, संयोजक
2. श्री नीलम संजीव एक्का,,सदस्य

29- Hkk"kfTkd tkap lfefr %&

1. श्री नन्द किशोर सिंह, संयोजक
2. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, सदस्य
3. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य

30- iwoZ'k foojf.kdk fuekZ.k lfefr &

1. श्री नन्दकुमार देवांगन – संयोजक
2. डॉ. उमेश कुमार पाण्डेय, सदस्य
3. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य
3. श्री नन्द किशोर सिंह, सदस्य

31- egkfo|ky;hu xhujh ¼gfj;kyh½ lfefr&

1. श्री नन्द किशोर सिंह, संयोजक
2. श्रीमती कुमारी तनुजा, ग्रंथपाल,सदस्य, सदस्य
3. श्री नीलम संजीव एक्का, सदस्य